न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस
प्रकरण सं.:– 60/2019

1. रागिनी पत्नि श्री अजय गौड़ जाति ब्राह्मण निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री के.एल. मेवाडा अधिवक्ता प्रार्थी
पैराकार सरकार

<u>निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय–ए , भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि 7990/1557 रकबा 0.16 प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात हैं। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा सं. 1553 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें हैं जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 1553 में से तहसीलदार भिनाय द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई हैं। साथ ही स्वीकार किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 7990/1557 रकबा 0.16 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 1553 में से होकर ही जाता है जिसकी डी.एल.सी. दर 296010/–रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई हैं। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी रहा हैं इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की डबल कोस्ट कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः खसरा नं. 1553 में से 108 मीटर (मीटर चौडा गुणा 12 मीटर लम्बा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 29.60 रू. प्रति वर्गमीटर से कुल राशि 6394/–रू. मुकर्रर की जाती है। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थीया रागिनी पत्नि अजय गौड़ खातेदार के लिए ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय–ए , भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 1553 मे से 108 मीटर भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 7990/155 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं तथा तहसीलदार भिनाय को उन राजस्व नक्शें में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नंबर का बट्टा नंबर कायम कर ख सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिका
भिनाय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.18 14:40:51 IST
Reason: SelfAttested